P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper-VI **Paper Name- Contract II** **Unit -4**

Q1.भागीदारी को परिभाषित कीजिये तथा भागीदारी के विधटन के विभिन्न तरीको को समझाइये।

उत्तर--साझेदारी की परिभाषा भारतीय भागिता अधिनियम की धारा 4 में दी गयी है, भागिता उन व्यक्तियों के बीच का सम्बन्ध है, जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभों में का करार कर लिया है, जिसे वे सब चलाते हैं या उन सबकी ओर से कार्यशील उनमें से चलाता हैं**{धारा 4}**

Partnership is the relation between Persons who have agreed to share fits of a business carried on by all or any of them acting for all....." [Sec. 4]

इस प्रकार से जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में किसी कारोबार के लाभों को बाँटने मिल जाते हैं और जिस कारोबार को वे सब अथवा उनमें से कोई एक चलाता हो, तो इस मलने पर उनके मध्य जो सम्बन्ध उत्पन्न होता है, साझेदारी कहलाती है।

अधिनियम में दी गयी की परिभाषा पोलॉक द्वारा दी गयी परिभाषा के अति निकट विद्वान न्यायाधीशों एवं लेखकों ने 'भागिता' को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य किसी विशेष उद्देश्य से एक समुदाय (Associa के रूप में मानते हैं, लेकिन निश्चित रूप से 'भागिता' उन्हीं व्यक्तियों के बीच का एक , जो उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाये जाने वाले कारोबार के लाभों समें बाँटने का ठहराव करते हैं। इस प्रकार भागिता न तो कोई समुदाय है, न कोई संविदा बल्कि एक 'सम्बन्ध' (Relation) है, जिसकी उत्पत्ति करार (Agreement) से होती है।

साझेदारी के प्रमुख आवश्यक तत्व,

(Essental Elements of the Partnership)

साझेदारी की परिभाषा और प्रकृति को समझते हुए इसके प्रमुख आवश्यक तत्व निम्न होते

(1) सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के मध्य एक करार होना चाहिए।

(2) यह करार व्यापार के लाभों को बाँटने के लिए होना चाहिए।

(3) व्यापार संबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से चलाया जाना

(1) सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के मध्य एक करार होना चाहिए (There must an agreement between all the persons concerned)

साझेदारी का प्रथम आवश् लक्षण है--'**व्यक्तियों के मध्य करार का होना।**' वह करार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के स्पष्ट अथवा गणित रूप से हो सकता है। इस प्रकार साझेदारी का जन्म ठहराव या करार से है, स्थिति से नहीं। इस आधार पर एक संयुक्त हिन्दू परिवार (Hindu undivided family सदस्य, जो सब मिलकर परिवार के व्यापार (Family Business) को चलाते हैं, भागीदार = कहे जा सकते; क्योंकि उनके मध्य सम्बन्धों की उत्पत्ति करार से नहीं होती, बल्कि स्थिति (S tus) से होती है। यह स्पष्टतया भागीदारी अधिनियम की धारा 5 में वर्णित है-

"भागिता सम्बन्ध संविदा से उत्पन्न होता है, न कि रूढ़िजन्य स्थिति से और विशेष कर हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य, जो उस हैसियत में अपना पारिवारिक कारोबार चलाते हैं, पति और पत्नी जो, उस हैसियत में कारोबार चलाते हैं, ऐसे कारोबार में भागीदार नहीं

The relation of Partnership arises from contract and not from sta and in particular, the members of a Hindu undivided Family carrying Family business as such, or a Burmese Buddhist husband and wife carry on business as such are not partners in such business.

[Indian Partnership Act, Sec हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध में यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि परस्पर सम्बन्ध और अधिकार और दायित्व हिन्दू लॉ द्वारा शासित होते हैं, साझेदारी अधि द्वारा नहीं।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि एक वैध साझेदारी (Valid Partnership) के करार होना आवश्यक है और यह करार ऐसा होना चाहिए, जो धारा 4 की समस्त शर्तों का करता हो।

(2) करार व्यापार के लाभों को बाँटने के लिए होना चाहिए (The agreer must be for sharing the Profits of business) --भागिता का दूसरा तत्व भागिता निर्माण के उद्देश्य' (object of Formation of Partnership) की ओर इंगित करता साझेदारी के निर्माण का उद्देश्य व्यापार के लाभों को सम्बन्धित व्यक्तियों के मध्य बाँटना है। भ का यह तत्व इस ओर भी संकेत करता है कि भागिता के लिए व्यापार का होना भी आवश्य ताकि दो या दो से अधिक व्यक्ति उस व्यापार के लाभों के बाँटने के लिए आपस में करार कर धारा 2 (ख) में दी गयी परिभाषा के अनुसार, व्यापार के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापार (T उपजीविका (Occupation) एवं वृत्ति (Profession) सम्मिलित है।

अतः भागिता के लिए कारोबार का होना नितान्त आवश्यक है। जहाँ व्यक्तियों का अ • कारोबार को चलाना एवं उसके लाभों को बाँटने का नहीं है, वहाँ भागिता का जन्म नहीं हो स यह कारोबार वैध होना चाहिए; अन्यथा यदि भागिता का उद्देश्य वैध नहीं है, तो उसके अ 'मागिता अवैध (Illegal) कहलायेगी। यदि व्यक्ति आपस में कोई ऐसा करार करते हैं, • अनुसार वे भविष्य में किसी व्यापार को चलायेंगे, तो ऐसे करार करने मात्र से वे भागीदार न जाते, जब तक कि वे वास्तव में व्यापार न चलाते हों। इस प्रकार भागिता का आवश्यक कारोबार के लाभों को बाँटना है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि साझेदार किसी समय पर ही लाभों को बाँटें और निश्चित अनुपात में ही हिस्सा लें, बल्कि वे जब चाहें तब का वितरण जिस अनुपात में चाहें उस अनुपात में कर सकते हैं, इसके लिए उनके ऊप कानूनी पाबंदी नहीं है। लेकिन यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि कोई व्यक्ति जो कारोबार में से हिस्सा प्राप्त करता है, केवल हिस्सा प्राप्त करने मात्र से ही भागीदार नहीं बन जाता।

(3) व्यापार सबके द्वारा या सबकी ओर से उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाना (The business must be carried on by all or any of them acting for all) --भागिता का तीसरा आवश्यक लक्षण यह है कि कारोबार सबके द्वारा या सबकी ओर से उनमें किसी एक के द्वारा चलाया जाना चाहिए। इस लक्षण से यह आभास होता है कि सब भागीदारों मध्य एक चर्चित अभिकरण (Implied agency) का अस्तित्व (Existence) पाया जाता है। न प्रकार से फर्म के सभी भागीदार जो फर्म के कारोबार को चलाते हैं, मालिक (Principal) के में भी होते हैं और अभिकर्ता (Agent) के रूप में भी। एक भागीदार जो फर्म के कारोबार को जा रहा है, अपनी उस स्थिति में फर्म के अन्य भागीदारों का अभिकर्ता होता है। इस दृष्टि से उसके सभी कर्तव्य हो जाते हैं, जो एक अभिकर्ता के हैं। वह अपने कार्यों से (जो उसके कारोबार के न्तर्गत किये गये हों) अन्य भागीदारों को बाध्य कर सकता है।

फर्म के भंजन के विभिन्न तरीके (Different modes of dissolution of firm)-- फर्म के -भंजन के विभिन्न तरीकों का वर्णन अधिनियम की धाराओं 40, 41, 42, 43 एवं 44 में किया गया है, जिनके अनुसार उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है--

(1) भागीदारों द्वारा किये गये करार द्वारा मंजन (Dissolution by agreement made by partners) -- जिस प्रकार से भागिता का जन्म अनुबंध से होता है, उसी प्रकार सभी भागीदारों की सहमति से करार द्वारा फर्म को समाप्त किया जा सकता है। मागीदार आपसी करार द्वारा यह तय कर सकते हैं कि किसी अमुक घटना (Certain particular event) के घटने पर फर्म विघटित हो जायेगी। उस दशा में करार की शर्त के अनुसार उस विशेष घटना के घटते ही फर्म विघटित हो जायेगी। फर्म का ऐसा विघटन करार द्वारा विघटन कहलाता है।

(2) आवश्यक रूप से फर्म का भंजन (Compulsory dissolution of firm)–कभी कभी किन्हीं दशाओं में फर्म अनिवार्य रूप से भंजित हो जाती है। वे दशाएँ निम्न प्रकार हैं-

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(अ) यदि फर्म के सभी भागीदार केवल एक भागीदार को छोड़कर या फर्म के सभी भागीदार दिवालिया करार कर दिये जायें। इसके सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण है कि एक या एक से अधिक भागीदारों के दिवालिया करार कर दिये जाने से फर्म विघटित नहीं होती, यदि शेष भागीदार दो या दो से अधिक हैं, वे योग्य हैं एवं फर्म के कारोबार को आगे चलाने का करार करते हैं।

उस दशा में फर्म के विघटन को इस आधार पर आवश्यक बताया गया है कि किसी एक व्यक्ति से फर्म चालू नहीं रह सकती है। फर्म को चालू रखने के लिए कम-से-कम दो व्यक्ति आवश्यक हैं! अतः जहाँ फर्म के सब भागीदार दिवालिया करार कर दिये जाते हैं या एक को छोड़कर बाकी सब भागीदार दिवालिया करार कर दिये जाते हैं, तो फर्म को चालू रखना स्वतः असम्भव हो जाता है।

(ब) किसी ऐसी घटना के घटित होने से जिसके परिणामस्वरूप फर्म के कारोबार को चालू रखना या भागीदारों के लिए भागिता को चालू रखना अवैधानिक (Unlawful) हो जाय, तो उस घटना के घटते ही फर्म अनिवार्य रूप से विघटित हो जाती है। उदाहरण के लिए, 'अ' और 'ब' किसी अमुक वस्तु के कारोबार में भागीदार हैं। बाद में सरकार द्वारा उस वस्तु में कारोबार करना अवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, तो 'अ' और 'ब' के मध्य अनिवार्य रूप से भागिता विघटित हो जाती है।

(3) कुछ आकस्मिकताओं के होने पर फर्म का भंजन (Dissolution of the firm on happening of certain contingencies)--कभी-कभी किन्हीं विशेष आकस्मिकताओं के होने पर फर्म विघटित हो जाती है, जैसे-
(**अ**) जहाँ फर्म किसी निश्चित अवधि के लिए गठित की गयी है, तो उस अवधि के व्यतीत (Expire) हो जाने पर,
(ब) जहाँ कि भागिता फर्म एक या एक से अधिक समुद्यमों (Adventures) या उपक्रमों (Undertakings) के लिए गठित की गयी है, तो उसके या उनके पूरा हो जाने पर,
(स) फर्म के किसी भागीदार की मृत्यु हो जाने पर,
(**द**) फर्म के किसी भागीदार के दिवालिया करार दिये जाने पर
उपरोक्त आकस्मिताओं के घटित होने पर फर्म तभी विघटित होगी, जबकि इसके विपरीत भागीदारों के मध्य कोई संविदा न हो। यदि कोई विपरीत संविदा है, तो फिर उस संविदा की शर्तों का पालन होगा।
(4) इच्छाधीन भागिता की दशा में सूचना देने से फर्म का भंजन (Dissolution of firm by giving a notice in the case of partnership at will)--इच्छाधीन भागिता की दशा में किसी भी भागीदार द्वारा अन्य सभी भागीदारों को फर्म को विघटित कर देने के अपने आशय की लिखित सूचना (Notice in writng) देने से फर्म विघटित हो जायेगी। यह फर्म उस दिन से विघटित हुई मानी जायगी, जो तारीख सूचना में फर्म के पंजन की तारीख के रूप में राष्ट की गयी है। लेकिन जहाँ सूचना में ऐसी कोई तारीख नहीं दी गयी है, वहाँ फर्म उस दिन से विघटित हुई मानी जायेगी जिस दिन से उस सूचना का संवहन हुआ है।
(5) न्यायालय द्वारा फर्म का मंजन (Dissolution of firm by the Court) ---उपरोक्त दशाओं में फर्म स्वतः ही भागीदारों द्वारा विघटित कर दी जाती है, किन्तु कुछ दशाएँ ऐसी हैं, जिनमें न्यायालय द्वारा फर्म का विघटन होता है। फर्म के किसी भी भागीदार द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर अदालत निम्नलिखित कारणों में से किसी भी कारण के आधार पर फर्म को भंजन करने का आदेश पारित कर सकती है।

(अ) जहाँ फर्म का कोई भागीदार पागल (Lunatic) हो जाता है, तो फर्म के किसी भागीदार अथवा पागल भागीदार के मित्र या प्रतिनिधि द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय फर्म को भंजन करने का आदेश दे सकता है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(ब) फर्म के किसी भागीदार के स्थायी रूप से अयोग्य (Permanently incapable) हो जाने पर जिससे कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ रहता हो, फर्म के किसी भागीदार द्वारा बाद प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है। स्थायी अयोग्यता, अन्धा होने पर, लकवा होने पर अथवा उम्र कैद होने पर भी विघटित हो सकती है।

(स) फर्म के किसी भागीदार के दुराचरण के कारण जिससे कि फर्म के कारोबार के चलाने पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका हो, फर्म के किसी भागीदार द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय फर्म को विघटित करने की आज्ञा दे सकता है। दुराचरण फर्म के कारोबार से सम्बन्धित मामलों के विषय में ही होना आवश्यक नहीं है। यह बाहर के मामलों के सम्बन्ध में भी हो सकता है।

(6) फर्म के किसी भागीदार द्वारा भागिता करार को भंग करने पर फर्म का भंजन (Dissolution of firm by breach of partnership agreement by a partner)--जहाँ फर्म का कोई भागीदार जानते हुए निरन्तर फर्म के प्रबन्ध से सम्बन्धित विषयों में अथवा कारोबार के चलाने से सम्बन्धित विषयों में करारों को भंग करता है या कारोबार से सम्बन्धित मामलों में अपना इस प्रकार का व्यवहार करता है कि अन्य भागीदारों को उसके साथ भागिता कारोबार को चलाना सही प्रकार से असम्भव है, तो न्यायालय फर्म के किसी अन्य भागीदार द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर फर्म के विघटन की आज्ञा दे सकता है।

(7) किसी भागीदार के हिस्से के हस्तान्तरण, कुर्की अथवा विक्रय होने पर फर्म का भंजन Dissolution of firm by transfer, attachment or sale of partner's share)- जहाँ फर्म के किसी भागीदार ने फर्म में अपना सम्पूर्ण हित किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित कर दिया है या उस पर न्यायालय द्वारा प्रभार (Charge) होने की आज्ञा दे दी है या मालगुजारी (Land Revenue) की बकाया राशि (Arrears) की वसूली में उसे बेचने की आज्ञा दे दी है तो न्यायालय किसी अन्य भागीदार द्वारा वाद प्रस्तुत किये जाने पर फर्म को विघटित करने का आदेश पारित कर सकता है।

(8) फर्म के कारोबार के हानि में चलने पर फर्म का मंज़न (Dissolution of firm when the business of the firm runs at a loss)--जहाँ कि फर्म का व्यवसाय हानि के • अलावा लाभ पर नहीं चलाया जा सकता, वहाँ भी न्यायालय फर्म के किसी भी भागीदार द्वारा दाद प्रस्तुत किये जाने पर फर्म को विघटित करने का आदेश दे सकता है।.

Q2. फर्म में पंजीकरण के प्रभाव को समझाइये। क्या एक अपंजीकृत फर्म किसी व्यक्ति के विरुद्ध कपट का वाद प्रस्तुत कर सकती है?

उत्तर फर्म के पंजीकृत (Registered) न कराने से उत्पन्न प्रभावों का वर्णन भागिता अधिनियम की धारा 69 में किया गया है, जिसके अनुसार--(1) संविदा से उत्पन्न या इस अधिनियम द्वारा प्रदान किये गये अधिकारों को प्रवर्तित (Enforce) कराने हेतु कोई वाद किसी व्यक्ति के द्वारा या निमित्त, जो फर्म के भागीदार के रूप में वाद कर रहा है, जब तक कि पंजीकृत न हो और वाद प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति फर्मों के रजिस्टर में फर्म के भागीदार के रूप में लिखा न हो या रह चुका हो, फर्म के विरूद्ध या किसी व्यक्ति के विरूद्ध, जिसके बारे में अधिकथित है कि वह फर्म में भागीदार है या रह चुका है, संस्थित (Instituted) नहीं किया जा सकेगा। {धारा 69 (1)}

स्पष्टीकरण--कोई भागीदार या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति आपसी संविदा से पैदा होने वाले या भागिता अधिनियम द्वारा दिये गये किसी अधिकार को प्रवर्तित कराने के फर्म के खिलाफ फर्म के किसी विद्यमान या भूत भागीदार के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं कर सकता है। यदि फर्म पंजीकृत नहीं हैं और वाद प्रस्तुत करने वाले का नाम फर्मों के रजिस्टर में फर्म के भागीदार के रूप में लिखा नहीं है ।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(2) संविदा से उत्पन्न अधिकार के प्रवर्तित कराने के लिए फर्म के द्वारा या निमित्त किसी अदालत में कोई वाद जब तक कि फर्म पंजीकृत न हो और वाद करने वाले व्यक्ति फर्मों के रजिस्टर में फर्म के भागीदारों के रूप में लिखे न हों या न रह चुके हों, किसी अन्य पक्षकार के विरूद्ध संस्थित नहीं किया जायगा। { धारा 69 (2)}

स्पष्टीकरण--फर्म द्वारा अथवा उसकी तरफ से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी संविदा से पैदा होने वाले किसी अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए किसी तीसरे पक्षकार के खिलाफ वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यदि फर्म की रजिस्ट्री नहीं हुई है और वाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का नाम फर्मों के रजिस्टर में लिखा न हो।

(3) उपधारा 1 और उपधारा 2 में उपबंध प्रतिपादन के दावे को या संविदा से उत्पन्न अधिकार के प्रवर्तित कराने के लिए अन्य कार्यवाहियों पर भी लागू होंगे। {धारा 69 (3)}

स्पष्टीकरण-- धारा 69 की उपधारा 1 एवं 2 में वर्णित अयोग्यताएँ प्रतिपादन के दावे (A claim of set-off) अथवा-किसी संविदा से पैदा हुए अधिकारों को प्रवर्तित कराने की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में भी लागू होंगी।

फर्म के अपंजीकरण का निम्न अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता (The fol owing rights are not affected by the non-registration of firm)--

(1) किसी भागीदार का फर्म को विघटित करने के लिए अथवा विघटित हुई फर्म का हिसाब गँगने के लिए अथवा विघटित हुई फर्म की सम्पत्ति को बेचने के अधिकार को प्रवर्तित कराने के नए वाद दायर करने का अधिकार,
(2) किसी राजकीय आदाता (Official receiver) का किसी दिवालिया भागीदार की जम्पत्ति को प्राप्त करने का अधिकार,
(3) जिन फर्मों का कारोबार भारतवर्ष में नहीं है, उनके भागीदारों के अधिकार,
(4) सौ रूपये तक का वाद अथवा प्रतिपादन का दावा भी प्रभावित नहीं होगा।
धारा 69 के सम्बन्ध में यह बात महत्वपूर्ण है कि यह धारा 1 अक्टूबर, 1933 को लागू हुई, जबकि भागिता अधिनियम, 1 अक्टूबर, 1932 को लागू हो चुका था।
धारा 69 में वर्णित अयोग्यताएँ संयुक्त हिन्दू परिवार (Joint Hindu family) के फर्मों पर लागू नहीं होत; क्योंकि संयुक्त हिन्दू परिवार की फर्म भागिता फर्म से भिन्न होती है।

यदि फर्म ने या फर्म के किसी भागीदार ने फर्म के पंजीकृत होने से पहले कोई वाद प्रस्तुत किया है, तो यह बाद चलने योग्य नहीं होगा। यदि वाद प्रस्तुत किये जाने से पहले पंजीकरण का प्रार्थना पत्र दिया गया है और वाद प्रस्तुत किये जाने के बाद फर्म वास्तव में पंजीकृत हुई है, तब भी ·उस दशा में वह वाद निष्फल रहेगा। कहने का आशय है कि फर्म के वास्तविक रूप से पंजीकृत होने पश्चात् ही फर्म या उसके किसी भागीदार द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद चलने काबिल होगा।

धारा 52 यह उपबंध करती है कि-
जहाँ कि भागिता स्थापित करने वाली संविदा उसके पक्षकारों में से किसी के कपट या मिथ्या वर्णन के आधार पर निरस्त कर दी जाती है, वहाँ निरस्त कराने के लिए अधिकारी पक्षकार अपने दूसरे किसी अधिकार पर विपरीत प्रभाव डाले बिना-
(क) फर्म में हिस्सा खरीदने के लिए अपने द्वारा दी गयी किसी राशि के लिए और अपने द्वारा दी गयी पूँजी के लिए फर्म के उस अधिशेष (Surplus) या सम्पत्तियों पर, जो फर्म के ऋण चुकाने के पश्चात् बची हैं, अपने विशेषाधिकार हेतु या रोक रखने के अधिकार हेतु,

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(ख) फर्म के ऋणों के वास्ते उसने जो रकम चुकायी हो, उसके बारे में फर्म का ऋणदाता (Creditor) समझा जाने के लिए, (ग) कपट या मिथ्या वर्णन के दोषी भागीदार या भागीदारों से फर्म के समस्त ऋणों के बारे में क्षतिपूर्ति पाने हेतु, अधिकारी होगा।

स्पष्टीकरण-- अन्य अनुबंधों की भाँति भागिता अनुबंध भी कपट या मिथ्या वर्णन के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य हैं, जहाँ कि ऐसा कोई भागिता अनुबंध उसके पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के द्वारा किये गये कपट या मिथ्या वर्णन के आधार पर निरस्त कर दिया जाता है, वहाँ दूसरा पक्षकार (जो कि संविदा को निरस्त कराने का अधिकारी है) अपने अन्य अधिकारों के प्रभावित हुए बिना निम्न अधिकार प्राप्त कर लेता है --

(1) विशेषाधिकार (Right of lien)-- किसी ऐसे धन की वसूली के लिए, जो धन उसने फर्म में अपना अंश क्रय करने हेतु या पूँजी के लिए दिया हो, फर्म के ऋणों को चुकाने के बाद फर्म की शेष सम्पत्ति पर विशेषाधिकार या उसे रोक रखने का अधिकार प्राप्त कर लेता है, लेकिन इसके लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि यह अधिकार फर्म के ऋण चुकाये जाने से पहले फर्म की सम्पत्ति पर प्राप्त न होगा। फर्म के ऋणों को चुकारा हो जाने के बाद ही शेष सम्पत्ति पर प्राप्त हो सकता है।

(2) ऋणदाता समझे जाने का अधिकार (Right to be ranked as a Creditor)--फर्म के ऋणों को चुकाने में जो धन उसने दिया हो, उसके सम्बन्ध में ऋणदाता के रूप में अधिकार।

(3) क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार (Right to Claim indemnity)-- फर्म के उन सभी ऋणों के सम्बन्ध में उन भागीदार अथवा भागीदारों से क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार, जो कपट या मिथ्या वर्णन के लिए दोषी हैं।

भागिता संविदा किसी पक्षकार द्वारा कपट या मिथ्या वर्णन किये जाने के आधार पर भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 19 के अधीन निरस्त होने योग्य है।

Q3. क्या एक अवयस्क को साझेदारी के फायदे में सम्मिलित किया जा सकता है? यदि हां, तो उसके क्या अधिकार एवं अयोग्यताएं है?

उत्तर- एक अवयस्क फर्म में भागीदार नहीं बन सकता है। भागिता का मुख्य आधार संविदा है। भागिता के सम्बन्ध का जन्म संविदा से होता है। जब संविदा वैध होगी, तभी भागिता वैध कहलायेगी। संविदा के वैध होने के लिए करार में वे सभी आवश्यक लक्षण वांछित हैं, जो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 में वर्णित हैं; जैसे प्रस्ताव एवं स्वीकृति, पक्षकारों में संविदा करने की क्षमता; न्यायोचित प्रतिफल तथा उद्देश्य, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, आदि। इस धारा में वैध संविदा होने के लिए प्रमुख आवश्यक लक्षण पक्षकारों में संविदा करने की क्षमता (Capacity) का होना है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 में अनुबंध करने की क्षमता का आशय स्पष्ट किया गया है, जिसके अनुसार एक अवयस्क को संविदा करने के अयोग्य बताया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिनियम में एक अवयस्क को संविदा करने के अयोग्य ठहराया गया है और चूँकि जब एक अवयस्क संविदा करने के अयोग्य है, तो वह कोई वैध करार नहीं कर सकता (Mohri Bibi Vs. Dharmodas Ghosh, 1903, 30 कलकत्ता 539) । अतः वह भागिता करार भी नहीं कर सकता और भागिता करार नहीं कर सकने के कारण वह फर्म में भागीदार नहीं बन सकता।

परन्तु भारतीय भागिता अधिनियम की धारा 30 अवयस्क को यह अवसर प्रदान करती है कि वह यद्यपि फर्म में भागीदार नहीं बन सकता, किन्तु यदि फर्म के सब भागीदार सहमत हो जायँ, तो वह उनकी सहमति से फर्म के फायदे (Benefit) में शामिल किया जा सकता है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper-VI **Paper Name- Contract II** **Unit -4**

भारतीय भागिता अधिनियम की धारा 30 (1) के अनुसार एक अवयरक अपने सम्बन्धित कानून के अन्तर्गत, जिसके अधीन वह है, फर्म में भागीदार नहीं बन सकता; किन्तु वह सभी विद्यमान भागीदारों की सहमति से भागिता के फायदे में सम्मिलित किया जा सकता है। ऐसे अवयस्क के, जिसे इस प्रकार फर्म के फायदे में सम्मिलित कर लिया गया है, निम्न प्रकार से अधिकार एवं दायित्व उत्पन्न होते हैं-

धारा 30 (2) -- ऐसा अवयस्क फर्म के लाभों एवं सम्पत्ति में से उस हिस्से को प्राप्त करने का अधिकारी है, जो कि तय किया गया है और ऐसा अवयस्क फर्म की खाता-पुस्तकों तक पहुँच • सकता है, उसकी जाँच कर सकता है और नकल प्राप्त कर सकता है।

स्पष्टीकरण- लेकिन यह उपधारा किसी अवयस्क को ऐसा अधिकार प्रदान नहीं करती कि वह खाता- पुस्तकों के अलावा फर्म की उन पुस्तकों तक भी पहुँच सके, जिनमें गुप्त बातें निहित हैं, और जो भागीदारों तक सीमित हैं।

धारा 30 (3)- - फर्म के कार्यों के लिए ऐसे अवयस्क का हिस्सा ही दायी रहता है। वह अवयस्क फर्म के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप में दायी नहीं रहता।

स्पष्टीकरण--यह उपधारा फर्म के फायदे में सम्मिलित किये गये अवयस्क के दायित्व का बखान करती है। इस उपधारा के अनुसार फर्म के कार्यों के लिए अवयस्क का दायित्व फर्म में उसके निश्चित किये हुए हिस्से तक ही सीमित है, उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति तक विस्तृत नहीं। फर्म के ऋणदाता (Creditors) फर्म की सम्पत्ति में अपने हित तक ही अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। **(संयासी चरन मण्डल बनाम आशुतोष घोष, 1914, 42 कल० 225, 232) ।**

उपधारा 4- - ऐसा अवयस्क फर्म से अपना सम्बन्ध हटाते समय सिवाय फर्म में अपने हिस्से की सम्पत्ति या लाभ के हिसाब या भुगतान कराने के लिए फर्म के भागीदारों पर मुकदमा नहीं चला सकेगा और सम्बन्ध हटाने की दशा में उसके हिस्से की रकम का निश्चय ऐसे मूल्यांकन द्वारा होगा, जो कि धारा 48 में दिये गये नियमों के अनुसार किया गया हो ।

परन्तु सभी भागीदार या तो साथ-साथ कार्यरत रहते हुए या फर्म को समाप्त करने के लिए अधिकार रखने वाला भागीदार दूसरे अन्य भागीदारों को सूचना (नोटिस) देकर ऐसे वाद में फर्म को समाप्त कर परिवरण या चुनाव (elect) कर सकेगा और फिर अदालत बाद में इस प्रकार की कार्यवाही कर सकेगी, जैसे कि वह फर्म के समापन और भागीदारों के मध्य हिसाब के निश्चय के लिए वाद है और अवयस्क के हिस्से की राशि को अन्य भागीदारों के साथ-साथ निश्चित किया जायगा।

स्पष्टीकरण--यह उपधारा अवयस्क को फर्म से अपना सम्बन्ध हटाते समय के अधिकारों को प्रदान करती है। ऐसा अवयस्क फर्म से अलग होते समय फर्म के अन्य भागीदारों पर अपने हिस्से की सम्पत्ति या लाभ के हिसाब या भुगतान कराने के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। परन्तु फर्म में रहते हुए उसे ऐसा मुकदमा दायर करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

उपधारा 5-अपनी वयस्कता प्राप्त किये जाने की तारीख या अपने को यह जानकारी प्राप्त कर लेने की तारीख कि मैं भागिता के फायदे को प्राप्त करने के लिए शामिल कर लिया गया है, जो भी तारीख बाद की हो, उसके छः माह के भीतर किसी समय ऐसा व्यक्ति यह सार्वजनिक सूचना (Public notice) दे सकेगा कि उसने फर्म में भागीदार होने का चयन या भागीदार न होने का चयन कर लिया है और फर्म के विषय में उसकी स्थिति का निश्चय उसी सूचना से होगा।

लेकिन यदि वह ऐसी सूचना देने में असमर्थ (Failed) रहता है, तो वह उक्त छः माह के व्यतीत होने के उपरान्त फर्म में भागी बन जायेगा।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

स्पष्टीकरण--यह उपधारा अवयरक के वयस्क होने पर या उसे इस बात की जानकारी होने पर कि वह फर्म में भागिता के फायदे के लिए शामिल कर लिया गया है, यह विकल्प (Option) प्रदान करती है कि वह यदि चाहे तो फर्म में भागीदार रहना निश्चित कर ले या चाहे तो फर्म से •अलग हो जाय। लेकिन उसे ऐसा निश्चय अपने वयस्क होने की तारीख से या इस बात की जानकारी होने की तारीख से कि वह भागिता के फायदे में शामिल कर लिया गया है, जो भी तारीख बाद की हो, छः माह के अन्दर ही अन्दर करना होगा और इसके लिए एक सार्वजनिक सूचना भी देनी होगी। यदि वह ऐसी सार्वजनिक सूचना नहीं देगा, तो छः माह के बीत जाने पर वह स्वतः ही फर्म में भागीदार बन जायगा।

उपधारा 6 - - जहाँ कोई व्यक्ति अवयस्क के रूप के भागिता का फायदा लेने के लिए फर्म में शामिल कर लिया गया है, यहाँ इस तथ्य को कि उस व्यक्ति को इस प्रकार से शामिल किये जाने की जानकारी उसके वयस्क हो जाने के छः माह के बीत जाने के पश्चात् की किसी विशेष तिथि तक नहीं थी, सावित करने का भार ऐसे तथ्य का बखान करने वाले व्यक्ति पर होगा।

उपधारा 7--जहाँ ऐसा व्यक्ति भागीदार बन जाता है; यहाँ--

(क) अवयस्क के रूप में उसके अधिकार और दायित्व उस तिथि तक रहते हैं, जिस पर कि वह भागीदार होता है, किन्तु वह उन सब फर्म के कार्यों के लिए, जो कि भागिता में फायदा लेने के लिए शामिल किये जाने के समय से किये गये हैं, व्यक्तिगत रूप से अन्य पक्षकारों के प्रति दायी हो जाता है, और

(ख) फर्म की सम्पदा और लाभों में उसका वही हिस्सा रहेगा, जिसका कि वह अवयस्क के रूप में अधिकारी था।

स्पष्टीकरण--यह उपधारा उस व्यक्ति के जो फर्म में भागीदार रहना चुनता है या छः मास के अन्दर सार्वजनिक सूचना देने में असफल रहता है और इस कारण फर्म में भागीदार बन जाता है, अधिकारों एवं दायित्वों का वर्णन करती है। यह उपधारा ऐसे व्यक्ति के लिए भागीदारों के रूप में अधिकारों एवं दायित्वों का सृजन उस तिथि से ही कर देती है, जिस तिथि को वह भागीदार बनता है, किन्तु यह भागीदार हो जाने पर उसके दायित्वों को अधिक विस्तृत कर देती है और उस व्यक्ति को फर्म के उन कार्यों के लिए भी व्यक्तिगत रूप से दायी (Personally liable) बना देती है, जो कि उस समय से किये गये थे, जबकि वह फर्म में भागिता के फायदे के लिए शामिल किया गया था.!

उपधारा 8--जहाँ कि वह व्यक्ति भागीदार होने का चयन नहीं करता वहाँ-

(क) उसके अधिकार और दायित्व उसके द्वारा सार्वजनिक सूचना दिये जाने की तिथि तक वही रहेंगे, जो कि अवयस्क के हैं।

(ख) फर्म की सम्पत्ति एवं लाभों में उसका हिस्सा सार्वजनिक सूचना की तिथि के बाद कि गये किसी भी फर्म के कार्य के लिए दायी नहीं होगा।

(ग) फर्म की सम्पत्ति एवं लाभों में अपने हिस्से के लिए वह अन्य भागीदारों पर मुकदमा दायर करने का अधिकारी रहेगा। **स्पष्टीकरण**- - इस प्रकार से यह उपधारा फर्म में भागीदार न बनने पर एक अवयस्क के अधिकार एवं दायित्वों का बखान करती है। यह उपधारा, उपधारा 7 की अपेक्षा अवयस्क को अधिक अच्छी स्थिति में रखती है और उसके दायित्वों को विस्तृत नहीं करती, जिस प्रकार कि उपधारा 7 करती है।

उपधारा 9--उपधारा 7 एवं 8 की कोई भी व्यवस्था धारा 28 के उपबंधों को प्रभावित नहीं कर सकेंगी।'

स्पष्टीकरण-- धारा 28 में प्रतिभास के सिद्धान्त का वर्णन है, जो उपधारा 7 एवं 8 की बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। अतः इस प्रकार जहाँ एक अवयस्क अपने व्यपदेशन (Representation) द्वारा वयस्क होने पर अपने आपको फर्म का भागीदार बताता है, तो वह प्रतिभास या जतलाने के सिद्धान्त के आधार पर दायी ठहराया जा सकेगा और उस व्यवहार के लिए अन्य भागीदारों के साथ दायी रहेगा जो उसके व्यपदेशन के भरोसे पर तीसरे पक्षकार ने फर्म के साथ किया है।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW